कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
ई–मेल : **dme12001@yahoo.com** दूरभाष क्रमांकः 0755–2551719
वेबसाईट : **www.medicaleducation.mp.gov.in** फैक्स : 0755–2578844

क्रमांक 118-20/स्था/राज/2019 भोपाल,दिनांक 15/01/2019

प्रति

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
ग्वालियर/जबलपुर/रीवा ।

विषयः– सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक मुश्त वेतन पर नियुक्त चिकित्सकों के वेतन से एन.पी.एस. कटौत्रे के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भः–1. मध्यप्रदेश प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 2–57/2018/55–1 दिनांक 6.8.2018 ।

2. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीप क्रमांक 1027 दिनांक 21.12.2018

::::::::::000000::::::::::

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 06.08.2018 से मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा (मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018) जारी किये गये हैं ।

इन नियमों के उपनियम 4.1 अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नियुक्त किये गये चिकित्सा शिक्षकों को एक मुश्त वेतन के भुगतान का प्रावधान किया गया हैं तथा उपनियम 10.9 में अवकाश, आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 लागू होने का प्रावधान किया गया हैं । अधीनस्थ संस्थाओ द्वारा एक मुश्त वेतन पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये एन.पी.एस. के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीप दिनांक 21.12.2018 के अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक मुश्त वेतन पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के वेतन से कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत एन.पी.एस. का लाभ भी नियमानुसार देय होगा ।

14/1/19

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक /स्था/राज/2019 भोपाल,दिनांक /01/2019

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीप क्रमांक 1027 दिनांक 21.12.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संभागीय आयुक्त संभाग ग्वालियर/जबलपुर/रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

//

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

489 15/1/19